राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4579/2024

दौलत सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव माफि, वैर, भरतपुर।
5. रेणु गुर्जर, अध्यापक–III लेवल–1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव माफि, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2024
आदेश की दिनांक : 22.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयागांव माफी, ब्लॉक वैर, जिला भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धरसौनी, भरतपुर को केवल निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था और प्रतिबंध अवधि में इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अपीलार्थी बीएलओ के रूप में तैनात है और उसका निर्वाचन विभाग की पूर्व सहमति के बिना स्थानांतरण किया गया था, आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 1 पर रखा गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने आक्षेपित आदेश पारित किया जिसके द्वारा केवल अपीलार्थी को केवल निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अवैध रूप से समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था और बिना किसी विवेक का उपयोग किए इसे पारित कर दिया। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को विवादित आदेश जारी किया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही विवादित नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया था।

(अनुलग्नक–2) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर है और वर्ष 2012 में नियुक्त हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिनांक 02.10.2023 के आदेश द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव माफी, ब्लॉक वैर, जिला भरतपुर में रिक्त पद की उपलब्धता के बिना नियुक्त किया गया था, जबकि उपरोक्त स्थान पर अपीलार्थी और एक प्रेम चंद मीना पहले से ही शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के रूप में नियुक्त हैं। (अनुलग्नक–3 व 4) प्राथमिक कक्षाओं के नियमों के अनुसार 60 छात्रों की संख्या के लिए दो शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए और वर्तमान विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या केवल 26 है और इसलिए अपीलार्थी और एक अन्य व्यक्ति प्रेम चंद मीना पहले से ही पूर्व निर्धारित विद्यालय में नियुक्त हैं और इसलिए वर्तमान स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (अनुलग्नक–5) दिनांक 13.06.2017 के आदेश के अनुसार जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए 6D अनिवार्य है और शिक्षक के पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 5 बिना किसी अनुभव के अपीलार्थी के स्थान पर बिना किसी 6D के तैनात है और अपीलकर्ता की 6D भी पूरी हो गई थी और अपीलकर्ता का नाम 6D सूची में 781 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–6) इससे पहले दिनांक 06.12.2024 के आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव माफी, वैर, भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धरसौनी, भरतपुर में स्थानांतरित किया गया था, जहां से दिनांक 16.12.2024 के आदेश द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया था और उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी नियम के उसके अभ्यावेदन पर विचार किया और प्रत्यर्थी संख्या 5 को अवैध रूप से समायोजित करने के लिए बिना विचार किए अपीलार्थी को अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया। (अनुलग्नक–8) दिनांक 23.03.2022 के आदेश द्वारा वर्तमान विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया। (अनुलग्नक–9)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 19.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव माफि, वैर, भरतपुर में अध्यापक III लेवल 1 के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)